

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा जिला दौसा (राज.)

क्रमांक: स्था/2024/15

दिनांक:- 19.01.2024

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय/आशुलिपिक/2023/1515 दिनांक 28.07.2023, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/I/A-4(i)(a)151/22/52 दिनांक 16.01.2024 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन निम्नलिखित अभ्यर्थियों को दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिए राजस्थान सिविल सेवाएं (पुरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में आशुलिपिक ग्रेड तृतीय (हिन्दी) के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 23,700/- रुपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

Sr. No.	Merit No.	Roll No.	Name & Address	Date of Birth	Original Category	Selection Category	Gender
1	59	29490	Krishna Sharma S/o Raju Sharma R/o Dhani Daderi Chawand Ka Mand Saipura, Jaipur (Raj.) - 302027	06-10-2001	EWS	GEN	Male
2	81	25779	Druv Narayan Kumawat S/o Dev Karan Kumawat R/o Plot No. 22, Shree Ram Nagar-A, Jhotwara, Jaipur (Raj.) - 302012	21-09-1996	OBC	GEN	Male
3	178	24375	Chandresh Soni S/o Mahesh Kumar Soni R/o P.No. 32 B Panchwati Colony, Jhotwara, Jaipur (Raj.) - 302012	08-11-2001	OBC	OBC	Male
4	197	42875	Vikas Kumar S/o Vinod Kumar R/o - V/p Brahmbad Teh. Bayana Dist. Bharatpur (Raj.) - 321410	15-05-1993	EWS	EWS	Male
5	225	25175	Dhanraj Jajoria S/o Navratan Jajoria R/o P.N. 299, Opp. Premier Printing Press, Ram Nagar, Sodala, Jaipur (Raj.) - 302019	07-07-1998	SC	SC	Male


शर्तें:-

- सभी नियुक्तियां आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय/द्वितीय की संयुक्त परीक्षा, 2023 के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं, भविष्य में होने वाली रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेंगी।
- प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
- प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परिवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परिवीक्षाकाल में कार्य व व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही नियमानुसार वेतनमान (पे-मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
- अभ्यर्थागण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाणपत्रों के सम्बन्धित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी गयी है। सत्यापन में कोई भी दस्तोवज या सूचना मिथ्या पायी गयी तो बिना पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

19/1/24  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
दौसा (राज.)



5. नियुक्ति पत्र के साथ पुलिस सत्यापन हेतु आवश्यक प्रारूप प्रेषित किये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी अपने से संबंधित सूचनाएं भरकर/यथास्थान नवीन फोटो चस्पा कर उपस्थिति के समय दो प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे। पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गयी सूचनाएं या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
6. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
7. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
8. इस आदेश की प्राप्ति के 07 कार्य दिवस के भीतर इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
9. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
10. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. क्रम संख्या 02 पर अंकित अभ्यर्थी श्री ध्रुव नारायण कुमावत की RS-CIT के प्रमाण पत्र में नाम DHRUV NARAYAN KUMAWAT अंकित होने एवं आवेदन पत्र व अन्य दस्तावेजों में नाम DRUV NARAYAN KUMAWAT अंकित होने के संबंध में, उक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. कार्यभार ग्रहण करते समय शैक्षणिक योग्यता, कम्प्यूटर योग्यता इत्यादि समस्त मूल दस्तावेज एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र अवलोकनार्थ एवं इन दस्तावेजों की प्रतिलिपि का एक सेट इस कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।


  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
दौसा जिला दौसा

क्रमांक : 647

दिनांक : 19.01.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राज0 उच्च न्यायालय, जोधपुर को उनके पत्रांक G/1/A-4(i)(a)151/22/52 दिनांक 16.01.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, दौसा को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करें।
3. कार्यालय सहायक/डी.एस.ए., जिला न्यायालय, दौसा को प्रेषित कर लेख है कि निर्देशानुसार नियुक्ति पत्र को जरिये ई-मेल सम्बन्धित अभ्यर्थी को भेजा जाना एवं उन्हें जरिये दूरभाष सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।
4. सहायक लेखाधिकारी, जिला न्यायालय, दौसा
5. सर्व श्री .....
6. व्यक्तिगत पंजिका श्री .....
7. आदेश/सम्बन्धित पत्रावली

  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,  
दौसा जिला दौसा